

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर
प्रार्थी : श्री खेमराज
किस्म मुकदमा -188 रा.का. अधिनियम
विपक्षी : श्री तोलीराम
पत्रावली संख्या : 06/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा चुनार जारी की गई
	<p>दिनांक : 21.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1170, 1171, 1172, 1572, 2176/1572 कित्ता 5 रकबा 0.9792 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।</p> <p>निर्णय खुले सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष IAS) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री खेमराज पिता घीसा रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्री देवकिशन पिता घीसा रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री तोलीराम पिता भगा गाडरी निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्री नारायण पिता डुंगा गाडरी निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्री रामा पिता मोडा गाडरी निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्री शंकरलाल पिता लालु गाडरी निवासी खरताणा तह. मावली।
5. श्री नाना पिता देवा गाडरी निवासी खरताणा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 06/21 (वाद) GCMS No. – 2021/6

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1170, 1171, 1172, 1572, 2176/1572 किता 5 रकबा 0.9792 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली